न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 2020/00916 जिला–अजमेर

1. श्रीमती ग्यारसी देवी पत्नी श्री गणेश जाति माली निवासी मित्र निवास मदनगंज किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. श्रीमती गमला देवी पत्नी श्री धर्मेन्द्र जाति गुर्जर निवसी गुर्जरों का बाड़ा अंराई रोड़ किशनगढ़ जिला अजमेर।

–––अपीलार्थीगण

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत गेगल जिला अजमेर।

–––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर
दिनांक 02–09–2019 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 16/2009
बउनवान ग्यारसी देवी बनाम सरकार

––––

उपस्थित– 1. श्री मदन सिंह रावत अभिभाषक अपीलार्थीगण
2. श्री आकाश पारीक, अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांकः– 26–12–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने विवादित आराजियात हीरालाल पुत्र छोटू रावत निवासी ढाणी पुरोहितान किशनगढ़ जिला अजमेर से उसक 1/4 हिस्से की भूमि वाद बंटवारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दो लाख बीस हजार रूपये में दिनांक 18–9–2007 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था तब से लेकर आज दिनांक तक अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। सरपंच ग्राम पंचायत के समक्ष रजिस्टर्ड बयनामा पस्तुत करने के बावजूद गिरदावर की रिपोर्ट को आधार मानते हुए सरपंच ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण संख्या 95 दिनांक 24–12–2007 को खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की

जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–09–2019 द्वारा अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 02–09–2019 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

अपील Subject to Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा–5 पर कथन किया कि अपीलार्थीगण ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है तथा कानून के प्रावधानों से अनभिज्ञ है।इसलिए अपने मुकदमे की पैरवी करने हेतु हर तारीख पेशी पर आने के लिए अभिभाषक ने मना कर दिया और आश्वस्त किया कि आपको फैसला होने पर सूचित कर दिया जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सूचना प्राप्त हुइथी सूचना प्राप्त होने पर अभिभाषक ने दिनांक 24–01–2020 को नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन नकल मिलने पर कोरोना बीमारी के कारण लॉकडाउन लगने के कारण अपील प्रस्तुत की गई थी। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थी संख्या–1 के विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। मियाद हेतु छूट चाहने बाबत कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। मियाद में छूट चाहने बाबत ठोस कारण अंकित करने चाहिए थे। मियाद में छूट चाहने हेतु प्रतिदिन बाबत संतोषजनक कारण अंकित किया जाना चाहिए। इस प्रकरण में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद के छूट के प्रार्थना पत्र में ऐसा नहीं किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

हमने विद्वान अपीलार्थीगण के अधिवक्ता की मियाद के बिंदु पर दिये गये तर्को पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एंव राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थीगण विवादित आराजियात की रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ

न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा बयनामें में कब्जा देना अंकित होते हुए भी बिना किसी आधार दस्तावेज के गिरदावर हल्का की यथास्थिति के आधार पर नामान्तरकरण खारिज किया जबकि यथास्थिति का तात्पर्य जिस व्यक्ति का कब्जा हो उसक हक में नामान्तरकरण करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इसका गलत अर्थ निकालकर नामान्तरकरण एवं अपील खारिज करने में कानूनी भूल की है।

उनका यह भी तर्क है कि नामान्तरकरण कब्जे के आधार पर किया जाता है। सरपंच ग्राम पंचायत उस गांव के वार्ड पंचों से अपीलार्थीगण की भूमि के कब्जे काश्त बाबत रिपोर्ट लिये बिना गिरदावर हल्का ने बिना न्यायालय के आदेश के यथास्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जबकि अन्य हिस्सेदार द्वारा प्रस्तुत वाद में यथास्थिति का कोई आदेश ही नहीं है जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअन्दाज कर अपीलार्थीगण की अपील खारिज कर कानूनी भूल की है। अतः अपलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–9–2019 विधिविरूद्व होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा की गई बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो उचित है। विवादित आराजियात बाबत सक्षम न्यायालय में वाद विचाराधीन है एवं सक्षम न्यायालय द्वारा विवादित आराजियात बाबत यथास्थिति के आदेश पारित किये हुए है। अपीलार्थीगण विवादित आराजियात बाबत अपना हक अधिकार सिद्व करने के लिए सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक दावा प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–09–2019 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार, अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 4–6–2016 के अनुसार विवादित नामान्तरकरण ग्राम पंचायत,गेगल द्वारा भूमि खसरा नम्बरों के संबंध में यथास्थिति के आदेश पारित होने के आधार पर खारिज किया है जिसके संबंध में गिरदावर गेगल द्वारा भी दिनांक 11–12–07 को सक्षम न्यायालय द्वारा यथास्थिति के आदेश का अंकन किया हुआ है जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत गेगल द्वारा ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर नामान्तरकरण संख्या 95 दिनांक 24–12–2007 खारिज किया है। सक्षम न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर द्वारा विवादित भूमि बाबत कोई आदेश पारित किया हो, के संबंध में अपीलार्थीगण के अभिभाषक द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य बहस के दौरान

प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थीगण के अभिभाषक ने बहस के दौरान ऐसा कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है कि गिरदार हल्का गेगल द्वारा नामान्तरकरण पर की गई रिपोर्ट गलत है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिस्कल कार्यवाही है जिसमें किसी पक्षकार के हक हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है लिहाजा यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार कर यह उचित प्रतीत होता है कि अपीलार्थीगण को अपने हक हकूकों के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर लाभ प्राप्त करना चाहिए था। इस नामान्तरकरण की अपील में उन्हें कोई लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–09–2019 विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–09–2019 अन्तर्गत अपील संख्या 16/2009 बउनवान ग्यारसी बनाम सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26–12–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवरलाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर